



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 45207 वर्ष 2025

अरुण उर्फ टोडी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मोहम्मद सलीम खान, वेद रतन

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री वेद रतन के स्थान पर उपस्थित श्री राकेश कुमार तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत आवेदक **अरुण उर्फ टोडी** की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 610 वर्ष 2017, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना गांधी पार्क, जनपद अलीगढ़ में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध दर्ज तीन आपराधिक इतिहास के मामलों को सम्यक रूप से स्पष्ट किया गया है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक न तो किसी गिरोह का सदस्य, न नेता और न ही आयोजक है तथा उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में न तो कोई सहायता की है और न ही किसी प्रकार की संलिप्तता दिखाई है। आवेदक का उक्त प्रकरण को छोड़कर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी निवेदित किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 06.11.2017 से कारागार में निरुद्ध है, यह आश्वासन देता है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी लंबितता के दृष्टिगत विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

प्रत्यर्थ में विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया गया है, तथापि आवेदक के विरुद्ध, विद्वान अधिवक्ता द्वारा दर्शित मामलों के अतिरिक्त, कोई अन्य मामला इंगित नहीं किया गया है।

अभिलेख पर उपलब्ध समस्त तथ्यों, प्रकरण की प्रकृति एवं साक्ष्यों के समग्र परिशीलन तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, तथा गुण-दोष के आधार पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं यह पाता हूँ कि यह जमानत प्रदान किए जाने योग्य प्रकरण है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक **अरुण उर्फ टोडी** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करेगा तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा—

(i) आवेदक किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विमुख हो अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों को किसी प्रकार से धमकाएगा अथवा उन पर दबाव नहीं बनाएगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) अभियोजन प्रारम्भ, (ii) आरोप विरचित किए जाने तथा (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने की तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक यह वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह उन तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, साक्ष्य के समय कोई स्थगन प्रार्थना नहीं करेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में जमानत निरस्तीकरण का आधार माना जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निस्तारण तक सीमित है तथा इसे गुण-दोष के आधार पर व्यक्त राय नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा और इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहेगा।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

12 जनवरी, 2026

सुमैरा